

कार्यालय प्राचार्य, ब०ला०जू० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पुरोला (उत्तरकाशी)।

आदेश सं०: 62 /रा.स्ना.म.पु./आन्तरिक परिवाद/समीति गठन/2023-24 दिनांक 05-08-2023

महाविद्यालय में आन्तरिक परिवाद समीति गठन:-

उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक: डिग्री विधि अनुभाग/2590/265/विविध पत्रावली/2023-24 दिनांक 28-07-2023 से सम्बन्धित बिन्दु, यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा "आन्तरिक परिवाद समीति" का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1- फातिमा खान (सहा० प्राध्यापक अंग्रेजी)                  | संयोजक    |
| 2- डॉ० तबरसुम जहां (सहा० प्राध्यापक समाजशास्त्र)          | सह-संयोजक |
| 3- श्री राजेन्द्र लाल आर्य (सहा० प्राध्यापक अर्थशास्त्र)  | सदस्य     |
| 4- श्रीमती रेखा नौटियाल जोशी (सचिव) मातृशक्ति संगठन (NGO) | सदस्य     |

उक्त समीति के संयोजक/सदस्यों को आदेशित किया जाता है, कि यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या: 2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12-05-2023 के अनुरूप आन्तरिक समीति के कार्यदायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(डॉ० ए०के० तिवारी),  
प्राचार्य,

ब०ला०जू० राजकीय स्नातकोत्तर,  
महाविद्यालय, पुरोला (उत्तरकाशी)।

प्राचार्य  
ब० ला० जू० राजकीय स्नातकोत्तर  
महाविद्यालय पुरोला (उत्तरकाशी)